

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी



अनुमति वाद संख्या :- 80/23-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

अरबिन्द हेरेंज
बिनीता होरो

- विक्रेता
- क्रेता

1
2

आदेश की उम्र संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
09.06.23	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक अरबिन्द हेरेंज पिता स्व० स्व० रावेल हेरेंज ग्राम-मालगो टंगराटोली, पो०-बिनगौव, थाना-कर्का, जिला खूँटी ने बिनीता होरो पति अनिल होरो ग्राम-बानकुली पीपर टोली, पो०-लोधमा, थाना-कर्का, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="300 728 1343 817"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मालगो</td> <td>117</td> <td>11</td> <td>785</td> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद 004842 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्का के पत्रांक 386 दिनांक 07.06.2023 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बड़का करमा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार बड़का करमा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 41.31 एकड़ भूमि है। आवेदक के पास कुल रकबा 9.74 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 16679.00 (सोलाह हजार छः सौ उन्नासी) रुपये है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 9.62 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मरिजद, भूईहरी, पहनाई, कैंसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्का ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्का से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अरबिन्द हेरेंज पिता स्व० स्व० रावेल हेरेंज को बिनीता होरो पति अनिल होरो के साथ ग्राम मालगो खाता सं० 11 खेसरा संख्या 785 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 16679.00 (सोलाह हजार छः सौ उन्नासी) रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्का के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	मालगो	117	11	785	0.12	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
मालगो	117	11	785	0.12								